IN THE COURT OF PRINCIPAL JUDGE, FAMILY COURT, SIWAN

Present – Manoj Kumar-II, Principal Judge

Divorce Case No.- 59/2026

शिवचन्द्र कुमार———————आवेदक सं0 01

व

कुमारी संध्या यादव उर्फ कुन्ती कुमारी——————आवेदक सं0 02

Sr. No.	Date	Order with signature of the Court
	06-07-2026	आवेदकगण की ओर से कोई पैरवी नहीं है और न ही बारम्बर पुकार पर ही आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि, प्रस्तुत वाद आवेदकगण के द्वारा आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति के लिए दिनांक 24.04.2026 को दाखिल किया गया था तथा आवेदकगण को आदेशित किया गया है कि वे अपने वाद में त्रुटि का सुधार करे एवं सदेह उपस्थित रहे परन्तु उसके बावजूद भी आवेदकगण न तो उपस्थित होते हैं और न ही अपने वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं और न ही न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे है। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि, आवेदकगण को बार—बार निर्देशित किया जा रहा है परन्तु उसके बाद भी आवेदकगण न तो उपस्थित होते है और न ही उनकी ओर से कोई भी उपस्थित होकर वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं और न ही न्यायालय के आदेश का पालन करते है। आवेदकगण दिनांक 04.05.2026 से लगातार अनुपस्थित रह रहे है और आवेदकगण आज भी अनुपस्थित हैं। उपरोक्त विवेचन एवं आवेदकगण के निरंतर अनुपस्थिति से यह स्पष्ट है कि, उसे वाद में रूचि नहीं रह गई है। अतैव प्रस्तुत वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। लेखापित प्रधान न्यायाधीश, सिवान।